[2008], 2 S.C.R. 683

सिरिसिया स्थल, इमली चाटी मुज्जफरपुर एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य.

2002 की सिविल अपील संख्या 1001

11 फरवरी, 2008

[डॉ.अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम. जे.जे.]

बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, *1961* - अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को रिट याचिका में चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने प्रावधानों को बरकरार रखा - अपील पर, माना गया: उठाई गई चुनौती के लिए उच्च न्यायालय का आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया था - इसलिए मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया।

अपीलकर्ता ने बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 - के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च्च न्यायालय में भेजते हुए कोर्ट द्वारा माना गया की। चूंकि उच्च्च न्यायालय ने उठाई गई चुनौती पर अपना मस्तिष्क

नहीं लगाया है, और गलती से संविधान की 9वीं अनुसूची का उल्लेख कर दिया है, इसलिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करना उचित है और कानून के अनुसार मामले को नए सिरे से विचार के लिए उनके पास भेजना उचित होगा। [पैैरा 6] [685-ई, एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2002 की सिविल अपील संख्या 1001

सी.डब्ल्यू.जे.सी. क्रमांक 10233, वर्ष 1995 में उच्च न्यायालय, पटना के निर्णय और आदेश दिनांक 13.03.2001

एस.बी. सान्याल, रंजन मुखर्जी - अपीलकर्ताओं की ओर से।

सौरभ कृपाल और गोपालसिंह - प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डाॅ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया था।

1. इस अपील में चुनौती पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के आदेश को दी गई है। रिट याचिका बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था और मसौदा बयान तैयार करने के बाद उन्हें

आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिल सकता था। यह माना गया कि रिट याचिका एक अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसे भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') की 9 वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।

2. अपील के समर्थन में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी जा रही थी और अधिनियम की धारा 29 में संशोधन को चुनौती दी गई थी, इसलिए रिटर्न दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि संशोधन को 9 वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था।

इससे पहले, सभी रिट याचिकाकर्ताओं को धार्मिक संस्कार करने और उसके रखरखाव के उद्देश्य से आवश्यक अतिरिक्त इकाई रखने के लिए अधिनियम की धारा 29(2)(ए)(ii) के तहत छूट दी गई थी, लेकिन संशोधन द्वारा इसे छीन लिया गया।

3. दूसरी ओर, रेस्पोडेंट्स राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि संशोधन संविधान की 9 वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं था, फिर भी संशोधन का प्रभाव यह है कि छूट देने की शक्ति पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त हो गई है।

4. रिट याचिका में प्रार्थनाएँ निम्नलिखित प्रभाव वाली थी:

"इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि इस आवेदन को स्वीकार कर रेस्पोडेंट्स के खिलाफ नियम NISI जारी करें और उन्हें यह बताने के लिए कहें कि क्यों आक्षेपित अध्यादेश की धारा 2 (अनुलग्नक 1) और इसमें

निहित निर्देश अनुबंध 2 को भारत के संविधान के दायरे से बाहर घोषित किया जाए और पक्ष या पार्टियों को सुनने के बाद रद्द कर दिया जाए, नियम को पूर्ण बनाया जा सकता है;

और/ या

(2) ऐसा आदेश, रिट, निर्देश या आदेश पारित किया जा सकता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और योग्य हो।"

5. इसके बाद, प्रार्थनाओं को निम्नलिखित शर्तों में संशोधित किया गया:

"इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि रिट आवेदन के प्रार्थना वाले हिस्से को ऊपर बताए गए तथ्यों के आलोक में संशोधित करने की अनुमति दी जाए:–

"रिट याचिका में पहली प्रार्थना के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए–

रेस्पोडेंट्स के खिलाफ भी नियम NISI जारी किया जाए, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा जाए कि 1997 के बिहार अधिनियम 8 (अनुलग्नक 3) की धारा 2 और अनुबंध 4 के पैरा 5 (जीएचए) (vi) में निहित निर्देशों को भारत के संविधान के दायरे से बाहर घोषित क्यों नहीं किया जाए और रद्द कर दिया जाए और पक्षों को सुनने के बाद नियम NISI को पूर्ण बना दिया जाए।"

6. चूंकि उच्च न्यायालय ने उठाई गई चुनौती पर अपना मस्तिष्क नहीं लगाया है और गलती से संविधान की 9 वीं अनुसूची का उल्लेख किया है, इसलिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करना और कानून के अनुसार मामले को नए सिरे से विचार के लिए उनके पास भेजना उचित होगा। चूंकि रिट याचिका वर्ष 1995 की है, इसलिए उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह इस मामले पर जल्द से जल्द विचार करे और रिट याचिका पर यथाशीघ्र निर्णय ले, अधिमानतः अक्टूबर, 2008 के अंत तक।

7. खर्चे के संबंध में आदेश किए बिना, संकेतित सीमा तक अपील की अनुमति है।

अपील की

अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिपांशु आर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।